प्रबंधन में रेलवे कर्मचारियों की भागीदारी (प्रेम) ग्रुप की रेल स्तर पर दिनांक 12.09.2025 को सभा कक्ष, महेन्द्रुघाट, पटना में हुई वर्ष 2025 की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति :–

अधिकारीगण

नाम (सर्वश्री/श्री मती)	पदनाम
1. छत्रसाल सिंह	महाप्रबंधक सह अध्यक्ष / प्रेम समूह
2. अमरेन्द्र कुमार	अपर महाप्रबंधक
3. अभिषेक कुमार	उप महाप्रबंधक/सा0 सह सचिव / प्रेम समूह
4. सविता गेडाम	प्रधान मुख्य संकेत एवं दूरसंचार इंजी.
5. शैलेश वर्मा	प्रमुख मुख्य इंजीनियर सह अध्यक्ष ईसीआरओए
6. राजेन्द्र कुमार चौधरी	प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर
7. प्रभात कुमार	प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक
8. इन्दु रानी दूबे	प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक
9. नीरज वर्मा	प्रधान वित्त सलाहकार
10. पंकज कुमार सिन्हा	वरिष्ठ उप महाप्रबंधक
11. बी.के.सिंह	प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
12. रामजन्म	मुख्य प्रशासनीक अधिकारी/नि./उ.
13. रामाश्रय पाण्डेय	मुख्य प्रशासनीक अधिकारी/नि./द.
14. सुरेन्द्र कुमार सिंह	मुख्य प्रशासनीक अधिकारी/नि./आरएसपी
15. महेश कुमार	मुख्य सामग्री प्रबंधक–।।
16. अमरेश कुमार प्रधान	प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त
17. प्रभात कुमार	प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी
18. अतुल प्रियदर्शी	मुख्य कार्य इंजीनियर
19. डॉ0सुबोध कुमार मिश्रा	चिकित्सा निदेशक, पटना
20. सुमन कुमार सिंह	महाप्रबंधक के सचिव
21. सरस्वती चन्द्र	मुख्य जनसंपर्क अधिकारी

प्रेम ग्रुप के सदस्यगण

ईसीआरईयू

1. श्री संतोष कुमार पासवान, अध्यक्ष
2. श्री संतोष कुमार, सहायक महासचिव–।।।
3. श्री संजय कुमार, कार्यकारी सदस्य–।

ईसीआर एससी/एसटी एशो.

1. श्री महेन्द्र कमार, अध्यक्ष
2. श्री पवन कुमार राम, महासचिव

ईसीआर ओबीसी एशो.

1.श्री शैलेन्द्र कुमार, अध्यक्ष

2.श्री सुबोध पोद्दार, महासचिव

ईसीआरपीओए

1. श्री अरविंद पासवान, अध्यक्ष
2. श्री रविन्द्र कुमार राज, महासचिव

ईसीआरओए

1. श्री जे0पी0 सिंह, महासचिव

पूर्व मध्य रेल/महेन्द्रुघाट, पटना में दिनांक 12.09.2025 को आयोजित प्रथम प्रेम बैठक की कार्यवृत

सर्वप्रथम, उप महाप्रबंधक(सा.) सह सचिव प्रेम ग्रुप के द्वारा महाप्रबंधक महोदय, अपर महाप्रबंधक, सभी प्रधान विभागाध्यक्ष, यूनियन एवं एसोसिएशन के सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। साथ ही, प्रेम समूह की बैठक का महत्व और आवश्यकता पर चर्चा की। तदुपरांत, महाप्रबंधक सह अध्यक्ष प्रेम समूह को उनके संबोधन हेतु आमंत्रित किया गया। अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया कि वे अपना आर्शीवचन से हमें अनुग्रहित करें।

महाप्रबंधक महोदय ने प्रेम समुह के सभी सदस्यों एवं उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों को संबोंधित करते हुए कहा कि रेलकर्मियों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस बैठक का आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से जमीनी स्तर पर कार्य–प्रणाली में सुधार के संबंध महत्वपूर्ण सुक्षाव प्राप्त होते है। हम आशा करते है कि समूह के सभी सदस्यों के द्वारा इस संबंध में अपने महत्व से रेल प्रशासन को अवगत कराएगे। प्राप्त सुक्षावों पर गौर करते हुए नियमानुसार यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

उन्होने प्रेम समूह के सभी सदस्यों को खुली चर्चा में विचार एवं उस पर कार्यान्वयन के लिए सुझाव आमंत्रित किया।

क्र.सं.	मद	अभियुक्ति
1.0	**श्री संतोष कुमार पासवान, अध्यक्ष, ईसीआरईयू**	
1.1	रेलवे में संरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए संरक्षा श्रेणी के पदों को रिक्त नहीं रखा जाए।	प्रमुकाधि
1.2	रेलवे कॉलोनी की साफ–सफाई सुदृढ़ की जाए।	प्रमुचिनि
1.3	रेलवे अस्पातालों में चिकित्सा हेतु आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाना चाहिए।	प्रमुचिनि
1.4	कर्मचारियों के वेतन भत्ते, पदोन्नति, आदि की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए ।	प्रमुकाधि
1.5	ईसीआरईयू को जोनल एवं शाखा स्तर पर अविलंब उपलब्ध कार्यालय कराया जाए।	प्रमुकाधि
1.6	मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में सामान्य एवं स्लीपर कोच की संख्या बढ़ाई जाए।	प्रमुयाइं, प्रमुपरिप्र
1.7	पूर्व में बेहतर कार्य कर रहे कर्मचारियों को सामान्य गलतियों पर अंतर्मंडलीय स्थानांतरण–जैसी दंड नहीं दिया जाए।	सभी प्रधान विभागाध्यक्ष
1.8	पेट्रोलिंग की बीट छोटी की जानी चाहिए।	प्रमुइं
1.9	रेलवे ट्रैक एवं स्टेशन परिसर को पर्यावरणनुकूल बनाने के लिए ऐसे वृक्ष लगाये जाएं, जो 01 वर्ष में छायादार हो जाए।	प्रमुइं
1.10	रेलवे क्वार्टर में सोलर पैनल लगाया जाए।	प्रमुविइं
1.11	भीड़–भाड़ वाले मेमू की पहचान कर इसे 22 कोच के साथ परिचालित की जाए।	प्रमुयाइं, प्रमुपरिप्र
1.12	केंद्रीय सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पटना में चिकित्सकों की रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरा जाए।	प्रमुचिनि, प्रमुकाधि
1.13	न्यू बरौनी स्टेशन पर टीटीई के लिए विश्रामगृह की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। महाप्रबंधक महोदय के द्वारा वर्तमान लिंक में संशोधन के विकल्प पर गौर करने का निर्देश दिया गया।	प्रमुवाप्र
1.14	D&AR केस का निपटारा समय पर और निष्पक्ष ढंग से नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत का पालन करते हुए किया जाए। वर्तमान में लगभग सभी मामलों में प्रायः यही देखा जाता है कि आनुशासनिक प्राधिकारी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन नही ंकर रहे हैं।	सभी प्रधान विभागाध्यक्ष
क्र.सं.	**मद**	**अभियुक्ति**
1.15	पूरे जोन के कैरेज एवं बैगन विभाग के सिक लाईन ड्राई/वर्क शॉप में आधुनिक	प्रमुयाइं

	रेस्ट रूम की व्यवस्था किया जाए।	
1.16	हाल ही में गाड़ी संख्या 19383/84, जो पहले अहमदाबाद से बरौनी तक चलती थी, को बढ़ाकर सहरसा तक कर दिया गया है, इसमें डीडीयू बेस के टीटीई से कार्य लिया जाए।	प्रमुवाप्र
1.17	जोनल मुख्यालय एवं सभी मंडलों में मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के खाली पदों को अविलंब भरा जाए, ताकि कार्यरत कर्मचारियों से कार्य का दवाब कम किया जा सके।	प्रमुकाधि
1.18	संवेदनशील पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का रोटेशनल ट्रांस्फर अविलंब किया जाए। इस मुद्दे को कई स्तरों पर उठाने के वाबजूद भी इसका अनुपालन सही तरीके से नहीं हो रहा पा रहा है।	सभी प्रधान विभागाध्यक्ष
1.19	सभी विभागों के कर्मचारियों का पदोन्नति/वेतन उन्नयन ससमय किया जाए।	सभी प्रधान विभागाध्यक्ष
1.20	हीट–वेव से बचने के लिए गार्ड ब्रेक में AC/Cooler की व्यवस्था की जाए।	प्रमुपरिप्र, प्रमुविइं
1.21	स्वास्थ्य सेवा के संबंध में स्पष्ट गाइड लाईन जारी नहीं होने के कारण रेलकर्मी को वर्तमान में रेलवे एवं निजी अस्पतालों के बीच अपनी समुचित ईलाज हेतु कठिनाई में है। कृप्या इस संबंध में स्पष्ट गाइड लाईन जारी किए जाएं।	प्रमुचिनि,
1.22	साफ–सफाई एवं कचरा निस्तारण केवल प्लेटफार्मों/रेलवे डिब्बों की साफ–सफाई तक ही केंद्रित हो गई है। रेलवे कॉलोनियों में नाली/शौचालय के भरे हुए टंकियों की साफ–सफाई एवं रेल परिवार द्वारा वेस्टेज कचरा के निस्तारण की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। साफ–सफाई एवं कचरा निस्तारण व्यवस्था हेतु जोनल स्तर पर एक टीम का गठन किया जाए जिसमें सभी यूनियन/एशोसिएशन के प्रतिनिधि को शामिल किया जाए। तीन महीने के अंदर रिपोर्ट पेश किए जाए एवं रिपोर्ट के अनुसार इस पर कार्य शुरू किए जाएं।	प्रमुचिनि
1.23	रेल कॉलोनियों में दिन–प्रतिदिन अनाधिकृत लोगों का कब्जा बढ़ता जा रहा है। वे असामाजिक कार्यों में लिप्त रहते हैं, उनका लोकल रंगदारों से मेल–जोल होने के कारण रेलकर्मियों को धमकाने का कार्य भी करते हैं ऐसे में रेलकर्मी कॉलोनी छोड़ने को विवश हो जाते हैं एवं खाली पड़े क्वाटरों में नए अनाधिकृत लोग कब्जा करते हैं। रेल प्रशासन ऐसे क्वार्टरों को चिन्हित कर अनाधिकृत लोगों को हटाने का कार्य अविलंब करे एवं खाली क्वार्टर को आवंटित कर दिया जाए।	सभी मरेप्र, प्रमुसआ
1.24	लाइनों में पेट्रोलिंग 2 से 2.5 कि.मी. के बीच निर्धारित की जाए। साथ ही, जीवन रक्षक यंत्र उपलब्ध कराया जाए।	प्रमुइं
1.25	कौनहारा घाट, हाजीपुर रेलवे कॉलोनी में रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 2021/ईईएम/180/11 दिनांक 20.01.2025 के अनुसार रेलवे आवासों में Re-wiring की जाए।	प्रमुविइं
1.26	रेलवे आवासों के दैनिक मरम्मती तंत्र को ठीक किया जाए। कोनहारा घाट हाजीपुर रेलवे कॉलोनी में मरम्मती कार्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।	प्रमुइं
1.27	मुख्यालय, हाजीपुर में कार्य करने वाले वैसे कर्मचारी जिनका लियन मंडलों में है, उनका पदोन्नति पर विचार किया जाए।	प्रमुकाधि
2.0	**श्री महेन्द्र कुमार, जोनल अध्यक्ष, एससी/एसटी एशो0**	
2.1	प्रेम समूह की बैठक निर्धारित समय पर आयोजित की जाए।	उपमप्र/सा.
2.2	कर्मचारियों के रेलवे आवासों का अनुरक्षण बेहतर किया जाना चाहिए, ताकि वे बेहतर मानसिकता के साथ कार्य कर सकें।	प्रमुइं
क्र.सं.	**मद**	**अभियुक्ति**
2.3	सभी श्रेणी के रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरी जाए।	प्रमुकाधि

2.4	मौसम के अनुसार पेट्रोलिंग में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए।	प्रमुइं
2.5	पदोन्नति में एकरूपता लाई जाए।	प्रमुकाधि
3.0	**श्री पवन कुमार राम, जोनल महासचिव, एससी/एसटी एशो0**	
3.1	एशो0 एवं यूनियन की बैठकें निर्धारित समय पर आयोजित की जाए ।	प्रमुकाधि
3.2	स्टेशन परिसर की झाड़ियों की साफ–सफाई की जाए।	प्रमुइं
3.3	एसोसिएशन एवं यूनियन के प्रतिनिधियों को आवश्यकतानुसार महाप्रबंधक महोदय से साक्षात्कार सुनिश्चित किया जाना चाहिए।	प्रमुकाधि
3.4	स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण के आवेदनों को रिक्तियों के अनुसार नियमानुसार यथाशीघ्र निष्पादित किया जाना चाहिए।	प्रमुकाधि
3.5	केंद्रीय आवास समिति की बैठक आयोजित किया जाना सुनिश्चित की जाए।	वरि0उपमप्र, उपमुकाधि (IR&W)
3.6	ठेका प्रणाली के कामगारों की उपस्थिति बॉयोमेट्रिक किया जाना सुनिश्चित की जाए	सभी प्रधान विभागाध्यक्ष
3.7	रेलवे बोर्ड के पत्रांक में वर्णित अनुदेश के आलोक में अंतर रेलवे निजी अनुरोध/अंतर मंडल निजी अनुरोध तथा पारस्परिक स्थानांतरण के प्रकरण पर संबंधित रेलवे द्वारा सहमति/असहमति अनुरोध प्राप्त होने के 15 दिनों में दिया जाना है। मंडलों के संघ प्रतिनिधि से सूचना प्राप्त हो रही है कि सीधी भर्ती कोटे में रिक्ति उपलबध रहने के बावजूद अंतर रेलवे निजी अनुरोध/अंतर मंडल निजी अनुरोध के स्थानांतरण के आवेदन लगभग 06 माह से 01 वर्ष तक मंडल कार्यालयों में लंबित रखने के बाद एन0ओ0सी0 प्रदान किया जाता है। लंबे समय से स्थानांतरण का प्रकरण लंबित रखने के कारण कर्मचारी विभिन्न तरह के "उपाय" करने में लग जाते हैं। राजनैतिक दवाब का प्रयोग भी करते हैं। यूनियन एवं एशोसिएशन के संपर्क में आते रहते हैं। आए दिन कर्मचारी मंडल कार्यालयों का चक्कर लगाते रहते हैं, जिससे पारदर्शिता संदिग्ध होती है। रिक्त रहने के बावजूद ज्यादा दिन निजी अनुरोध स्थानांतरण रोकने के कारण कई स्थानांतरण कराने वाले संगठित गिरोह सक्रिय हो जाते हैं जिससे हमारे रेलवे की छवि धूमिल होने की संभावना बनी रहती है।	प्रमुकाधि, सभी मरेप्र
3.9	भारतीय रेलवे में सफाई कार्य ठेके पर दिए गए हैं जहां ठेके पर रखे गए कामगार को न्यूनतम मजदूरी नहीं दिया जा रहा है। ठेकेदार सफाई कर्मियों की दो उपस्थिति पंजी रखते हैं एक में उनका 08 से 10 दिन हाजरी दिखाया जाता है दूसरे में 25 दिन दिखाया जाता है। इस प्रकार ठेकेदार उपस्थिति में हेरफेर कर कामगार का पूर्ण वेतन उठाते हैं। लेकिन भुगतान मात्र 04 से 05 हजार रुपए किया जाता है। अनुरोध है कि उच्चाधिकारी अपने निरीक्षण दौरे में इन विन्दुओं पर भी निरीक्षण करने की कृपा करेंगे। एक बेहतर प्रयोग के तौर पर ठेके पर काम करने वाले कामगार का वायोमेट्रिक उपस्थिति की प्रणाली शुरू की जाए।	सभी मरेप्र, सभी प्रधान विभागाध्यक्ष
3.10	सामान्यतया यह देखा जा रहा है कि अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के जेएजी अधिकारी को मंडलों में शाखा अधिकारी के पद पर पदस्थापित नहीं किया जाता है। सामान्यतया उन्हें संरक्षा अधिकारी, दक्षता अधिकारी, जांच अधिकारी या मुख्यालय में पदस्थापित किया जाता है। अतः अनुरोध है कि वाणिज्य विभाग/परिचालन, लेखा विभाग में कार्यरत अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के अधिकारी को भी मंडलों में शाखा पदाधिकारी यथा वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक/वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक तथा वरिष्ठ मंडल वित प्रबंधक जैसे पदों पर अनुपातिक दौर पर पदस्थापित किए जाने चाहिए।	सभी प्रधान विभागाध्यक्ष
क्र.सं.	**मद**	**अभियुक्ति**
3.11	सोनपुर एवं समस्तीपुर मंडल के कार्यक्षेत्र का बंटवारा किया गया है। महाप्रबंधक	मरेप्र सोनपुर ,

	(का0), पूमरे, हाजीपुर द्वारा एक निर्देश ECR-HQ0PERS (Rule)/0010/2025 dt: 18.08.2025 के बिन्दु 7 को स्पष्ट किया जाए यदि कर्मचारी को समस्तीपुर मंडल भेजा जाता है तो उसकी वरीयता कैसे निर्धारित होगी कृप्या बताया जाए।	मरेप्र समस्तीपुर
3.12	प्रशिक्षण संस्थानों के समन्वयन में प्रेम समूह के सदस्यों को भी नामित किया जाए ।	प्रमुकाधि
3.13	एससी/एसटी एसोसिएशन के प्रेम कार्यालय के लिए एक सामान्य सहायक की पदस्थापना भंडार विभाग के कर्मचारी का 02 वर्ष पूर्व ही हो चुका है लेकिन अभी तक कर्मचारी ने अपना योगदान प्रेम कार्यालय में नहीं दिया है । कृपया इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए ।	प्रमुकाधि
3.14	डीडीयू में एससी/एसटी एसोसिएशन के प्रेम कार्यालय के लिए भवन उपलब्ध कराया जाए ।	मरेप्र डीडीयू
4.0	**श्री शैलेन्द्र कुमार, जोनल अध्यक्ष, ओबीसी एसोसिएशन**	
4.1	रेलवे आवास में छत से पानी के रिसाव को रोकने के लिए एक कार्य योजना बनाकर त्वरित कार्रवाई की जाए ।	प्रमुइं
4.2	संरक्षा श्रेणी के रिक्तियों को शीघ्र भरी जाए ताकि इस श्रेणी के कर्मचारियों को समुचित विश्राम मिल सके ।	प्रमुकाधि, प्रमुसंधि
4.3	रनिंग कर्मचारियों की ड्यिुटी निर्धारित नियमों के अनुसार कराई जाए ।	सभी संबंधित प्रधान विभागाध्यक्ष
4.4	प्रमुख स्टेशनों पर निरीक्षकों के लिए विश्राम गृह उपलब्ध कराई जाए।	सभी संबंधित प्रधान विभागाध्यक्ष
4.5	स्थानांतरण नीति को पारदर्शी किया जाए और स्थानंतरण में कर्मचारी की सुविधा का भी ध्यान रखा जाए।	सभी प्रधान विभागाध्यक्ष
5.0	**श्री सुबोध पोद्दार, जोनल महासचिव, ओबीसी एसोसिएशन**	
5.1	गाड़ियों का संरक्षित परिचालन सुनिश्चित किया जाए ।	प्रमुसंधि
5.2	निर्धारित नीतियों का कार्यान्वयन वास्तविक रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।	सभी प्रधान विभागाध्यक्ष
5.3	कर्मचारियों की दक्षता में सुधार के लिए उन्हें अपने कर्तव्य के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए तथा तकनीकि प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित की जाए ।	सभी प्रधान विभागाध्यक्ष
5.4	एक कार्य योजना बनाकर रेलवे आवासों को समूचित रूप से अनुरक्षित किया जाना चाहिए ।	प्रमुइं
5.5	इन हाउस प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।	प्रमुकाधि
5.6	एफएसबी एवं वॉकी–टॉकी की जर्जर स्थिति को दूर किया जाए ।	प्रमुसिदुइं
5.7	संघ द्वारा जो एजेंडा मीटिंग में दिया जाता है उसकी स्थिति एवं उत्तर गलत दिया जाता है। साथ ही, महाप्रबंधक स्तर से जो नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं, मीटिंग में उसका अनुपालन जोन स्तर से मंडल स्तरत तक नहीं किया जाता है।	सभी मरेप्र
5.8	एआईओबीसीआरईए/ ईसीआर को एनेक्सी भवन में कमरा आवंटित है लेकिन आज तक इसे उपलब्धा नहीं कराया गया है। अतएव, अनुरोध है कि बोर्ड के दिशा–र्निदेशानुसार सारी सुविधाओं से युक्त प्रेम कार्यालय संघ को अविलंब सौंपी जाए ताकि कार्य संचालन सुचारू रूप से संचालित हो सके।	उपमप्र/सा.
5.9	बोर्ड द्वारा जारी मास्टर र्सकुलर (65) के आधार पर जो सुविधा एआईओबीसीआरईए/ईसीआर को दिया जाना है उसका अनुपालन जोनल स्तर एवं मंडल स्तर पर सुनिश्चित किया जाए।	प्रमुकाधि
क्र.सं.	**मद**	**अभियुक्ति**
5.10	विदित हो कि पूर्व मध्य रेल में संरक्षा, सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु नियमित	प्रमुकाधि

	पदोन्नति (प्रत्येक संवर्ग में) वित्तीय उन्नयन का लाभ (सभी विभागों में) रिक्त पड़े पदों पर अविलंब नियुक्ति की जाय ताकि कार्य का बोझ ज्यादा न हो एवं कर्मचारी को सही तरीके से आराम/छुट्टी मिल सके एवं उनके द्वारा तनावमुक्त परिचालन किया जा सके तभी सुरक्षित एवं संरक्षित परिचालन संभव है।	
5.11	समस्त जोन में जहां भी रेल की जमीन पड़ी है और वहां यदि व्यवसायिक दृष्टिकोण से विकास सौन्दर्यीकरण योजना के साथ करके धारक को मार्केट बनाकर आवंटित किया जाय ताकि रेल की आय बढ़ सके, जैसे गढहरा (सोनपुर मंडल) में जो रेलवे का मार्केट है वहां जमीन खाली है इसका विकास किया जा सकता है।	सभी मरेप्र, प्रमुइं
6.0	**श्री शैलेश वर्मा, अध्यक्ष, ईसीआरओए**	
6.1	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के डिफिकल्ट क्षेत्र में 03 वर्ष तक कार्यरत रहने के पश्चात स्थानांतरण में उनकी निवेदित वरीयता पर ध्यान देने के लिए एक नीति बनाई जानी चाहिए।	सभी प्रधान विभागाध्यक्ष
7.0	**श्री अरविंद पासवान, अध्यक्ष, ईसीआरपीओए**	
7.1	पूर्व मध्य रेल में राजगीर या जमूई में ओकग्रोव के तर्ज पर आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाए।	प्रमुकाधि
7.2	रेलवे में यात्री दुर्घटना दावा में कमी लाने के लिए पैसेंजर गाड़ियों में ऑटोमेटिक गेट लगाया जाना चाहिए ताकि यात्री निर्धारित स्थल पर ही गाडी में चढें और उतरें।	प्रमुयांइं
7.3	पैसेंजर गाड़ियों में प्रस्थान से गंतव्य प्रदर्शित करने वाला इलेक्ट्रानिक डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाना चाहिए ताकि यात्रियों को गाड़ी परिचालन की दिशा आसानी से पता चल सके।	प्रमुसिदुइं, प्रमुयांइं
8.0	**श्री रविन्द्र कुमार राज, महासचिव, ईसीआरपीओए**	
8.1	कार्य निरीक्षक एवं विधुत फोरमैन कार्यालयों के रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरा जाए ।	प्रमुइं, प्रमुविइं
8.2	स्टेशनों के सौंदर्यीकरण के लिए सभी मंडलों में संविदा पर एक आर्टिटेक्ट की नियुक्ति की जाए।	सभी मरेप्र
8.3	30 वर्ष और उससे अधिक आयु के कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के लिए अनिवार्य वार्षिक स्वास्थ्य मूल्यांकन किया जाए।	प्रमुचिनि
8.4	केंद्रीय सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पटना में एक बार में ही थॉरो जांच की प्रणाली लागू की जाए ताकि कर्मचारियों को बार–बार अस्पताल आने जाने से निजात मिल सके।	प्रमुचिनि
8.5	रेल भर्ती बोर्ड/सेल द्वारा ऑनलाइन आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए केंद्र प्रभारी को रोड व्हीकल उपलब्ध कराया जाए।	प्रमुकाधि
8.6	सभी रेलवे क्वार्टरों का ठेकेदार द्वारा गैर निर्धारित (NS) मद के तहत सर्वेक्षण कराया जाए। यह सर्वेक्षण निवासियों की प्रतिक्रिया पर आधारित होगा और एक्सल सीट **में** शाक्कलन तैयार किया जाए। वरिष्ठ सेक्शन इंजी./कार्य द्वारा 20% सर्वेक्षणों की पुष्टि की जाए।	प्रमुइं
8.7	सर्वेक्षण डेटा के आधार पर वरिष्ठ मंडल इंजी. / मंडल इंजी. उपयुक्त बजट हेड (Zonal Contract, Special Revenue या Capital) निर्धारित करेगे और कार्य आदेश जारी करेगें। सभी प्रस्ताव सर्वेक्षण शीट को आधार बनाकर शुरू किया जाए।	प्रमुइं
8.8	सभी क्वार्टर प्रकारों (टाइप-II से टाइप–VI)के लिए, यांत्रिक, विधुत एवं प्लव्विंग की ड्राइंग्स तैयार की जाए। इन डिजाइनों में आंतरिक ले आउट शामिल हो। जिससे फील्ड इंजीनियरों को सहायता मिलेगी।	प्रमुइं
क्र.सं.	**मद**	**अभियुक्ति**
8.9	लागत कम करने ,अनुरक्षण सरल बनाने और सुरक्षा बढ़ाने हेतु रोड साइड स्टेशनों	प्रमुइं

	पर बहुमंजिली क्वार्टर बनाई जाए।	
8.10	सेंट्रल हॉसपिटल पटना में फॉलो–अप OPD मामलों के लिए टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू किया जाए जिससे यात्रा व्यय कम हो और देखभाल में निरंतरता बनी रहे।	प्रमुचिनि
8.11	सेन्ट्रल हॉसपिटल पटना में एक–एक प्रशासनिक,स्टोर एवं लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाए ताकि डॉक्टरों को गैर– चिकित्सकीय कार्यो से मुक्त किया जा सके।	वरि0उपमप्र, प्रमुकाधि
8.12	प्रत्येक विभाग के लिए रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय कर एक व्यापक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया जाए।	प्रमुकाधि
8.13	मुख्यालय स्तर पर एक टीम बनाई जाए जो एम एस वर्ड, एक्सल एवं पावर प्वाइंट और एआइ उपकरणों पर लघु ऑनलाईन पाठ्यक्रम प्रदान करे।	सभी प्रधान विभागाध्यक्ष
8.14	IRICEN के सहयोग से मध्यस्थता और सुलह अधिनियम पर एक संक्षिप्त ऑनलाईन पाठ्क्रम तैयार किया जाए।	प्रमुइं
8.15	ट्रैक मेंटेनर, सिग्नल मेंटेनर, विद्युत कर्षण स्टाफ आदि के लिए एक मिनट से कम के छोटे–छोटे एनिमेटेड वीडियो बनाए जाएं।	प्रमुविइं, प्रमुइं, प्रमुसिदुइ
9.0	**श्री संजय कुमार, कार्यकारी सदस्य–I, ईसीआरईयू**	
9.1	केंद्रीय सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पटना का साप्ताहिक अवकाश रविवार के वजाय किसी अन्य दिवस में किया जाए ।	प्रमुचिनि
9.2	रेलवे बोर्ड के अद्यतन दिशा–निर्देश के आलोक में कौनहाराघाट, रेलवे आवासों के बिजली के तार एवं उपकरण बदल दिए जाए ।	प्रमुविइं
9.3	पटना–आरा–बक्सर एवं पटना–मोकामा के बीच वातानुकूलित कोच में नियमित रूप से टिकट जांच की जाए ताकि अनधिकृत यात्रा पर रोक लगाई जा सके ।	प्रमुपरिप्र
10.0	**श्री संतोष कुमार, सहायक महासचिव–III, ईसीआरईयू**	
10.1	सेवारत रेल कर्मचारी के आकस्मिक निधन होने पर किसी सहायक अधिकारी या यदि संभव हो तो शाखा अधिकारी का पहुंचना सुनिश्चित की जाए ।	प्रमुकाधि
10.2	सेवारत रेल कर्मचारी के आकस्मिक निधन होने पर अन्य रेलवे की तरह पूर्व मध्य रेल पर भी सहायता राशि 25 हजार रूपये दिया जाना सुनिश्चित की जाए ।	प्रमुकाधि

बैठक के अंत में उप महाप्रबंधक(सा.) सह सचिव प्रेम ग्रुप महोदय ने प्रेम समूह के सभी सदस्यों को अपना अमूल्य समय निकालकर बैठक में शामिल होने एवं विचारों को रखने के लिए धन्यवाद दिया तथा महाप्रबंधक महोदय की अनुमति से बैठक के समाप्ति की घोषणा की एवं सभी सदस्यों को मध्यान भोजन के लिए आमंत्रित किया।

***